वित्त मंत्री

श्री सुरेश कुमार खन्ना

का

2025-2026 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट अनुमानों पर
माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2025–2026 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर,

इस वर्ष परम पावन तीर्थनगरी प्रयागराज में महाकुम्भ–2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुम्भ 144 वर्षों में आता है। यह हम सभी के लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिये परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवनकाल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुम्भ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुण्णता का परिचायक है। कुम्भ मात्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक मेला ही नही है, यह एक दुलर्भ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुम्भ के विषय में पुराणों का यह श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगाः

''मेष राशिगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ।
अमावस्या तदा योगःकुम्भख्यस्तीर्थ नायके।।''

अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चन्द्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थो के नायक प्रयाग में कुम्भयोग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुम्भ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है।

महाकुम्भ में देश–विदेश से आये लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। यह सर्म्पूण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्तकंठ से की। सम्भवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व में प्रतिभाग किया होगा।

मान्यवर,

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग आठ वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाना हो, गरीबी उन्मूलन हो, अवस्थापना विकास हो अथवा वित्तीय समावेशन हो। हमने चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और नवाचार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा—कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ, अवस्थापना, उद्योग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवायें, ऊर्जा, पूँजी निवेश आदि चिन्हित करते हुये सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिये सत्त विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिये दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केन्द्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिये कार्य किया गया है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा—

जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है,
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।

महोदय,

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास किया गया है, कई निवेशोन्मुख नीतियां घोषित की गई हैं तथा कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से परिवर्तित होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हुई है।

विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिये परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगी।

कानून व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीतिगत निरूपण एवं इन्वेस्ट यू0पी0 में निवेश सारथी, निवेश मित्र तथा ऑनलाइन प्रोत्साहन—लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है जिससे निवेशकों का विश्वास

बढ़ा है तथा राज्य में व्यापार करने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है।

महोदय,

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 से 2022–2023 तक की अवधि के लिये राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है जिसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी (फ्रंट रनर) राज्य की श्रेणी में रखा गया है। समेकित ''**फिस्कल हेल्थ इन्डेक्स**'' जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 था, 2022–2023 में बढ़कर 45.9 हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूँजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा।

सामाजिक क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में 27 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 9 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत भी पूँजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय कुल व्यय का 4.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2022–2023 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था।

प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गयी।

मान्यवर,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–2025 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिन्दु मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत एवं 11.6 प्रतिशत रहा जो महाराष्ट्र के उपरान्त देश में सर्वाधिक है।

उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1 प्रतिशत रहा जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2 प्रतिशत रहा जब कि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10 प्रतिशत रहा।

इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12 प्रतिशत रहा जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7 प्रतिशत रहा ।

समस्त राज्यों द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किये गये व्यय के औसत की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2018–2019 तथा 2021–2022 के अलावा वर्ष 2017–2018 से 2024–2025 तक उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा। वर्ष 2017–2018 में सभी राज्यों के औसत अनुपात 5.0 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का अनुपात 5.3 तथा 2024–2025 में 5.6 प्रतिशत के सापेक्ष 5.9 प्रतिशत रहा है।

प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016–2017 की समाप्ति पर जी.एस.डी.पी. का 36.7 प्रतिशत थी घट कर वर्ष 2022–2023 के वास्तविक आँकड़ों में 30.4 प्रतिशत हो गयी है।

उपरोक्त सभी आँकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्यों के बजट का अध्ययन कर प्रकाशित किये गये हैं, से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न केवल अपने आंतरिक संसाधनों की अभिवृद्धि पर जोर दिया गया है अपितु विकास व्यय एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाया गया है और ऋणग्रस्तता में कमी लायी गई है। यह हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन का परिचायक है।

महोदय,

वर्ष 2017–2018 में जब प्रदेश वासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी तथा जी.एस.डी.पी. मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दो गुना कर दिया है। वर्ष 2024–2025 में प्रदेश की जी.एस.डी.पी. 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023–2024 में भारत देश की जी.डी.पी. की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र तीन वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019–2020 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुँच गयी। इसके उपरान्त कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र तीन वर्ष में 14.9 प्रतिशत अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुये हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023–2024 में 93,514 रुपये के स्तर पर ले आये हैं।

मान्यवर,

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं, बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा।

प्रस्तुत बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024–2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूँजीगत व्यय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।

इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है।

विधान सभा को आधुनिक आई0टी0 सिस्टम्स से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

प्रदेश को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु ''**आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी**'' की स्थापना तथा **साईबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क** की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गयी है।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में **आई0सी0टी0लैब** तथा **स्मार्ट क्लासेज की स्थापना** पर कार्य किया जा रहा है।

राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया **डिजिटल लाईब्रेरी** की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स** की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनायी जा रही है।

नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को **आदर्श स्मार्ट नगर निकाय** के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जायेगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल़ 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में **कामगार/श्रमिक अड्डे** बनवाने की योजना पर कार्य किया जायेगा जिसमें कैन्टीन, पीने के पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था करायी जायेगी।

मान्यवर,

हमारी सरकार द्वारा गाँधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2024 से ''जीरो पॉवटी अभियान'' का प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुये उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं सशक्तीकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा–

किसान

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0के माध्यम से हस्तांतरित की गयी ।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2024–2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया।
- **पी.एम.कुसुम योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।
- कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में **मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** दिनाँक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है।
- कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो एकाउन्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है।
- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रूपये अधिक है।
- औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रूपये प्रति कुन्तल की दर से 43,364 रूपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके लिये शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र हैं।

महिला एवं बाल विकास

- **उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।
- ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहित करने हेतु **बी.सी.सखी योजना** के अन्तर्गत 39,556 बी.सी.सखी द्वारा कार्य करते हुये 31,103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन–देन किया गया व 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया।
- **लखपति महिला योजना** के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हाँकन किया गया है तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
- **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं। उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलिण्डर वितरित किये जा रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन हेतु **महिला सामर्थ्य योजना** संचालित है ।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्म रक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर **स्कूटी** प्रदान किये की नई योजना लायी जा रही है।

युवा

- **स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना** के अन्तर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलबध कराये जायेंगे।
- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** का संचालन किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत सत्र 2024–25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।
- प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024–2025 में **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान** योजना प्रारम्भ की गई है। यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें

सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

- **इनोवेशन दिवस** के अवसर पर **यू0 पी0 स्टार्टअप संवाद और एक्सपो** का आयोजन किया गया जिसमे प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25–25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए **इनोवेशन फण्ड** की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।
- **पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि** प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार **युवक एवं महिला मंगल दलों** को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

रोजगार

- मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनाँक 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिशत है।
- **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन** के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार / स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।
- **अप्रेन्टिस योजना** के अन्तर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में योजित किया गया।
- **एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत** वर्ष 2024–2025 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गयी तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ।
- **निवेश मित्र** के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–2025 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 59,64,048 रोजगारों का सृजन हुआ।

- वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष, उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गयी । वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

- लगभग 96 लाख एम.एस.एम.ई. इकाईयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है।

श्रमिक कल्याण

- **मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना** के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी हैं।

- **निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना** के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं।

- **कन्या विवाह सहायता योजना** के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्राविधान है।

- **निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना** के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत– प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।

- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/ मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना** से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- **आवासीय विद्यालय योजना** प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100–100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेशित किये जाने का प्रावधान है।

- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्‌देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक–एक **अटल आवासीय विद्यालय** स्थापित है। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जायेगा।

वित्तीय समावेशन

- वर्ष 2024–2025 में **बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण** हेतु तैयार की गयी वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है।

- वर्तमान में प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखायें, 4,00,932 बैंक मित्र एवं बी0सी0सखी तथा 18,747 ए0टी0एम0 सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिग सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- **प्रधानमंत्री जनधन योजना** के अन्तर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत** अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत** अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- **अटल पेंशन योजनान्तर्गत** अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

कानून व्यवस्था

मान्यवर,

किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार सम्भाला था उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुण्डाराज की गिरफ्त में था यह सभी को मालूम है।

हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुये गुण्डों, माफियाओं और हर अपराध पेशा लोगों के विरूद्ध अभियान चला कर कार्यवाही की गयी—

कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें ।
लहर–लहर तूफान मिले और संग–संग मझधार हमें।
फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे।
इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें ।।

- अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुये अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों से सजा दिलाई गई। वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगो में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास/ कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कराया गया है, जिसमें 02 को फांसी की सजा हुई है।
- महिलाओं एव नाबालिगों के विरूद्ध हुए अपराधों मे 27,425 अभियोगों, पॉस्को अधिनियम के 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी।
- साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नम्बर ब्लॉक कराये गये (देश में प्रथम स्थान)। वर्ष 2017 से दिनांक 31.12.2024 तक कुल

पंजीकृत 77,210 अभियोगो के सापेक्ष में 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्तगणों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रू0 320.89 करोड़ की धनराशि बरामद की गयी

- अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की प्रभावी कार्यवाही के तहत दिनाँक 20 मार्च, 2017 से 23 जनवरी, 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 8022 घायल हुये।
- वर्ष 2017 से पूर्व उ0प्र0 मे मात्र 04 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित थीं। वर्ष 2017 के पश्चात 08 नये जनपद/मण्डल में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी। जनपद अयोध्या, बस्ती, बाँदा, आजमगढ़, मीरजापुर एवं सहारनपुर में 06 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचलित है।

कारागार प्रशासन

- प्रदेश की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों से बन्दियों की रिमाण्ड की कार्यवाही हो रही है। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगभग 4800 सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित हैं जिनकी फीड प्राप्त किये जाने हेतु मुख्यालय में वीडियो वॉल स्थापित है। 24 कारागारों में 3 जी क्षमता के 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित हैं।

मान्यवर,

आज से सात–आठ साल पहले प्रदेश में चिकित्सा सुविधायें अत्यन्त जर्जर अवस्था में थीं। प्रत्येक वर्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमक रोगों से बड़े पैमाने पर मौतें हुआ करती थीं। प्रदेश रोगों की पहचान, रोकथाम और इलाज की व्यवस्थायें जनमामान्य को उपलबध नहीं थीं। हमने कोविड वैश्विक बीमारी का दौर भी देखा जिसके दौरान प्रदेश में जिस कुशलता के साथ इस विभीषिका का सामना किया गया उसकी प्रशंसा विश्व स्तर पर की गई। आज प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार जिस प्रकार हुआ है और लगातार हो रहा है वह अदभुत है–

रात कितनी ही भले हो स्याह आखिर में उसे,
मात खानी ही पड़ेगी रोशनी के हाथ से।

चिकित्सा शिक्षा

- वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कालेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र में है। प्रदेश में 02 एम्स एवं आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ संचालित हैं। वर्ष 2024–2025 में 13 स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं पी0पी0पी0 मोड पर 03 जनपदों– महाराजगंज, सम्भल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये हैं।

- वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 की 11,800 सीटें तथा पी0जी0 की 3971 सीटें उपलब्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025–2026 में यू0जी0/पी0जी0 हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों मे सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी, शैक्षणिक सत्र 2024–2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया।

- जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

- प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित हैं।

- उप केन्द्रों से टेलीकन्सलटेशन प्रारम्भ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का आरम्भ जुलाई, 2020 से किया गया है।

- प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पी0पी0पी0 मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

- प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही हैं।

आयुष

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित हैं।

- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य

पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

मान्यवर,

जब वर्ष 2017 में हमने कार्यभार सम्भाला था उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास पूरी तरह से रूका पड़ा था। उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई यह कल्पना भी नही कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग–धन्धे आयेंगे भी, परन्तु दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों से कुछ भी सम्भव है–

लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर,
खास वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं।

- राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिट के एक वर्ष के अन्दर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है अथवा सम्बन्धित परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में **चार नये एक्सप्रेस–वेज** के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

- **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे से गंगा एक्सप्रेस–वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे** का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गंगा एक्सप्रेस–वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने के लिये **विन्ध्य एक्सप्रेस–वे** के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु **गंगा एक्सप्रेस–वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस–वे** का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।

- **बुन्देलखण्ड–रीवा एक्सप्रेस–वे** का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।

- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के साथ **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना** हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।

- लखनऊ में **आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी** के विकास हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- साईबर सुरक्षा में **टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क** की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एम.एस.एम.ई. सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

- प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024–2025 में **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान** प्रारम्भ किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीयकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हाउस होल्ड हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

- पीएम. मित्र योजना के अन्तर्गत **टेक्सटाइल पार्क की स्थापना** से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022** के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
- **अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना** हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनाएं है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2025–2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्थापित

होने वाले नये उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** हेतु 32 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड** के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति –2017 के अन्तर्गत 23,203 करोड़ रूपये तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2017 के अन्तर्गत 7,004 करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में हुआ है ।
- प्रदेश सरकार की डाटा सेन्टर नीति के अन्तर्गत पूर्व लक्षित 03 डाटा सेन्टर पार्क्स के स्थान पर संशोधित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश से 08 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना तथा 900 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति, 2024 प्रख्यापित की गई है। सेमीकण्डक्टर इकाईयों के लिये डेडीकेटेड प्रावधान आरम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है।
- राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का केन्द्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में तथा आई.आई.टी. कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स के क्षेत्र में एवं आई.आई.टी. कानपुर परिसर में ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित होकर परिचालनरत हो गये हैं।

सड़क एवं सेतु

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में सेतुओं एवं रेल उपरिगामी/ अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु कुल 1450 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **राज्य सड़क निधि** से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण हेतु 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिये 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत** ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

- मध्य गंगा नहर परियोजन स्टेज–2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी जिससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

- विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 2.38 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।

- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये लगभग 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- प्रदेश सरकार द्वारा 1551 बाढ़ परियोजनायें पूर्ण की गयी जिससे 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित हुआ है तथा करोड़ों की आबादी लाभान्वित हुई है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत् पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष 2.34 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।

पीने का पानी घर में उपलब्ध होने का महत्व वहीं समझ सकता है जिसके पास यह सुविधा नहीं हो और जिसके घर की महिलाओं, बच्चों को पीने के पानी के लिये दूर–दराज से पानी भरकर लाने के लिये रोज घर से निकलना पड़ता हो। घरों में नल से पानी उपलब्ध होने से इन परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है–

कोई ना हो उदास तो समझो बसन्त है,
हर घर में हो उल्लास तो समझो बसन्त है,
जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा,
बुझ जाये उनकी प्यास तो समझो बसन्त है।

- गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाये रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिये सीवरेज संबंधी कुल 67 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिनकी कुल स्वीकृत लागत 14,823 करोड़ रूपये है। वर्तमान तक 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही है तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
- **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं** के लिये सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपये तथा जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं संचालन हेतु करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना** के लिये 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा

वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। न छात्रों को पढ़ाई के लिये बिजली मिलती थी, न ही किसानों को सिंचाई के लिये। अस्पतालों और औद्योगिक इकाईयों को बिजली नहीं मिलती थी। गर्मियों में पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रहती थी। रातों में शहर के शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोगों के घरों में रोशनी है, गर्मियों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, किसानों को सिंचाई के लिये बिजली उपलब्ध है। हमारी सरकार ने इस भावना के साथ कार्य किया है–

अजमते जिन्दगी की कसम है हमें,
जर्रे–जर्रे में महफिल सजा देंगे हम,
तेरे दीवारो दर जगमगा देंगे हम ।

- वर्ष 2024–2025 में माह दिसम्बर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20 घण्टे 35 मिनट, तहसील मुख्यालय में 22 घण्टे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालय में 24 घण्टे रही। प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक कुल 1,87,873 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये।

- कृषि फीडरों के पृथक्कीकरण की योजना के अन्तर्गत 4,680 फीडर्स के लक्ष्य के सापेक्ष 3,817 कृषि फीडर्स का निर्माण कराया जा चुका है।

- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2024–2025 में दिसम्बर माह तक 7140 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता व संयुक्त उपक्रम में चलित 1980 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 37,056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया।

- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेत पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना 3953 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित है। यह परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपये अनुमानित है। परियोजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झाँसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। परियोजना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

- प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में 22,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

- अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायो–गैस, बायो–कोल, बायो–डीजल/बायो–एथेनॉल से सम्बन्धित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

- सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु वर्ष 2025–2026 में 3000 सूर्यमित्रों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आवास एवं शहरी नियोजन

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्राँजिट सिस्टम का दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरिडॉर संचालित है। सम्पूर्ण कॉरिडॉर का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूरा किये जाने का अनुमान है।
- आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउन शिप विकसित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है।
- प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस–पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये स्टेट कैपिटल रीजन गठित किये जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 प्रख्यापित है। स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमशः लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित हैं।

नगर विकास

- **अमृत योजना 2.0** के अन्तर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0** हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा **प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) 2.0** हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी **अमृत 2.0 योजना** हेतु 4100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन)** के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फलड एवं **स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना** प्रारम्भ की गयी जिसके लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ह।
- **मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना** हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **राज्य स्मार्ट सिटी योजना** हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना** हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नागरिक उड्डयन

- वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जायेंगे।
- वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नये टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार अब अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ाने संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

प्रदेश में जिस प्रकार अवस्थापना सुविधाओं का चतुर्दिक विकास और आवागमन की सुविधाओं का द्रुत गति से विस्तार हुआ है, वह वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में रही सरकार के लिये सपने में भी शायद सम्भव नहीं था, परन्तु–

लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं अक्सर,
हर एक ख्वाब को सच कर दिया है योगी ने।

नियोजन

- **जीरो पॉवर्टी– उत्तर प्रदेश अभियाान** हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
- प्रदेश में विकास कार्यों हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थित जनपदों के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ रूपये तथा 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

- **महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य अनुमानित है जिसके सापेक्ष 5372 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अन्तर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त नियोजित किया जा सकेगा।

पंचायती राज

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर **डिजिटल लाइब्रेरी** की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों** के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना** अन्तर्गत 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु **उत्सव भवन** का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

कृषि

- प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये **उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024** के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है जिसके लिये 251 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा जिसके लिय 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पीएम. कुसुम योजना** के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है जिसके लिये 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 .करोड़ रुपये एवं **विश्व बैंक सहायतित यू.पी.एग्रीज परियोजना** के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

- कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पाँच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
- प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है । प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं।
- जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- पर ड्राप मोर क्रॉप–माइक्रो इरीगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय औद्यानिक/ बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है।

- गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पिपराईच चीनी मिल में 60 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रूपये तथा बन्द पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास

- भारत वर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है। दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।
- **नन्द बाबा दुग्ध मिशन** के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है।
- दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन

- प्रदेश में लगभग 12,50,000 गो—वंश कुल 7713 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अन्तर्गत 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गो—वंश सुपुर्द किये गये हैं। पालतू, संरक्षित एवं छुट्टा गो—वंश की पहचान हेतु टैगिंग कराये जाने की योजना पर कार्य किया जायेगा।
- छुट्टा गोवंश के रख—रखाव हेतु 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है। वृहद गो— संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
- पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 123 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य

- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** के अन्तर्गत **पुरूष लाभार्थियों** के लिये 195 करोड़ रुपये तथा **महिला लाभार्थियों** के लिये 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** के अन्तर्गत **एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट** के निर्माण हेत 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आई.टी.तकनीक से सुसम्पन्न करने हेतु टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन

एवं साइबर सेक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नई योजना लायी जा रही है।

- पैक्स के माध्यम से **कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण** हेतु ब्याज अनुदान के लिये 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रासायनिक **उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत** 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

- प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत आच्छादित 3.60 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन का निःशुल्क वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कुल 92.30 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया है। भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष तक के लिये निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्णय के क्रम में प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।
- प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत त्रैमासिक आधार पर अन्त्योदय लाभार्थियों को 01 किलोग्राम प्रति परिवार / प्रतिकार्ड / प्रतिमाह की दर से प्रति त्रैमास लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

- बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा–12 तक करते हुये कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा–12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
- प्रदेश में प्री–प्राइमरी से कक्षा–12 तक की समेकित शिक्षा के लिये अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पी0एम0–श्री योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने हेतु 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को स्कूल बैंग हेतु 350 करोड़ रुपये, निःशुल्क यूनीफार्म हेतु 168 करोड़ रुपये तथा परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।

माध्यमिक शिक्षा

- **समग्र शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/ भवन क्रय हेतु 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।
- राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिये 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं संचालन किया गया।
- एन0सी0सी0 प्रशिक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्पोर्टस फॉर स्कूल कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में खेलकूद की प्रतिभा विकसित करने के लिये विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। हाल ही में सम्पन्न 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं

में प्रदेश के बालक बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये 25 स्वर्ण, 24 रजत, 50 कॉस्य पदक सहित कुल 99 पदक प्राप्त किये ।

उच्च शिक्षा

- **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना** के संचालन हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना** के अन्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ **विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय** की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- प्रदेश के **राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार** हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 52 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।
- राजकीय पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन /सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये एवं प्रदेश में **आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शिक्षा** हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- वर्तमान व आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाये।

- वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं।

- प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही है। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साईंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आगरा में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 25 .करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साईंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल एवं युवा कल्याण

- प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है जिसके लिये कुल 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनपद वाराणसी में पी0पी0पी0 मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इण्डिया के अन्तर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है।

- प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से ''**एक जनपद एक खेल**'' योजनान्तर्गत 72 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में शेष 03 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है।

धर्मार्थ कार्य

- श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा–वृन्दावन कारीडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

- जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर, माँ अष्टभुजा मन्दिर, माँ काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार/पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

- जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

पर्यटन

- वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आये जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है।
- **मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना** के लिये 400 करोड़ रुपये, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थपना सुविधाओं के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपये तथा नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे–साईड एमेनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

- वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है। उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है।
- वर्ष 2021–2022 से वर्ष 2024–2025 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वर्षाकाल–2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गयी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगुनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को टीएक्स–2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- जनपद गोरखपुर में कैम्पियर रेंज के अन्तर्गत "**रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र**" देश का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है।
- जनपद गोरखपुर में **उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय** की स्थापना किये जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

- **निराश्रित महिला पेंशन** योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला** योजनान्तर्गत 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में **मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण** की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता–पिता को खोया है उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना** के लिये 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पुष्टाहार कार्यक्रम** के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगंनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण

- **वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना** के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- **अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु** लगभग 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत** 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनजाति विकास

- अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ''पीएम– जनमन''** के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है।

- **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनाँक 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

- दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजनान्तर्गत 1424 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री–स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 1998 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्याय

- उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिये नये भवनों के निर्माण के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये तथा उनके लिये किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजस्व

- कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु/ दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की **मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑन लाइन कार्यों हेतु लैपटाप/स्मार्ट फोन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिये 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 08 मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि सम्बन्धी कार्यो हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री ग्राम जोडो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है

मान्यवर,

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 30 हजार 425 करोड़ रुपये (1,30,425 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 63 हजार करोड़ रुपये (63,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 38 हजार 150 करोड़ रुपये (38,150 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 14 हजार करोड़ रुपये (14,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2025–2026

मान्यवर,

- प्रस्तुत बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 28 हजार 478 करोड 34 लाख रुपये (28,478.34 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 07 लाख 79 हजार 242 करोड़ 65 लाख रुपये (7,79,242.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल प्राप्तियों में 06 लाख 62 हजार 690 करोड़ 93 लाख रुपये (6,62,690.93 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 01 लाख 16 हजार 551 करोड़ 72 लाख रुपये (1,16,551.72 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 05 लाख 50 हजार 172 करोड़ 21 लाख रुपये (5,50,172.21 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 95 हजार करोड़ रुपये (2,95,000 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 02 लाख 55 हजार 172 करोड़ 21 लाख रुपये (2,55,172.21 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में 05 लाख 83 हजार 174 करोड़ 57 लाख रुपये (5,83,174.57 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 02 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये (2,25,561.49 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 29 हजार 493 करोड़ 41 लाख रुपये (29,493.41 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 19 हजार 993 करोड 41 लाख रुपये (19,993.41 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 20 हजार 240 करोड़ 81 लाख रुपये (20,240.81 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 247 करोड़ 40 लाख रुपये (247.40 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 79 .हजार 516 करोड़ 36 लाख रुपये (79,516.36 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 91 हजार 399 करोड़ 80 लाख रुपये (91,399.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।

मान्यवर,

हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहय्या कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर

उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारा मानना है कि –

तुम सोच रहे हो बस, बादल की उड़ानों तक,
मेरी तो निगाहें हैं, सूरज के ठिकानों तक।

मान्यवर,

मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है ।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2025–2026 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वंदे मातरम्

फाल्गुन 01, शक संवत् 1946
तद्नुसार,
दिनाँक : 20 फरवरी, 2025